प्रारंभिक परीक्षा

बुल्गारिया, रोमानिया के लिए शेंगेन अधिग्रहण

संदर्भ

यूरोपीय संघ के देशों ने **बुल्गारिया** और **रोमानिया** को **अगले साल की शुरुआत से सीमा रहित शेंगेन क्षेत्र का पूर्ण सदस्य बनने की मंजूरी दे दी।**

शेंगेन क्षेत्र के बारे में -

- **यह यूरोप का एक मुक्त यात्रा क्षेत्र है जो 29 देशों से बना है।**
- **इतिहास**: इसकी **स्थापना 1985 में 5 यूरोपीय संघ देशों**: फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग द्वारा की गई थी। इसका नाम लक्जमबर्ग के उस छोटे से गाँव के नाम पर रखा गया है जहाँ शेंगेन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- **वर्तमान में 27 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में से 25 शेंगेन क्षेत्र में भाग लेते हैं। (बुल्गारिया और रोमानिया के शामिल होने के बाद)।**
    - **यूरोपीय संघ के वे राज्य जो शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा नहीं हैं:** साइप्रस और आयरलैंड
    - **शेंगेन क्षेत्र के गैर-यूरोपीय संघ राज्य**: आइसलैंड, लिचेंस्टीन, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे।
- **शेंगेन क्षेत्र की विशेषताएं**:
    - **कोई आंतरिक सीमा नहीं**: शेंगेन क्षेत्र के देश, विशेष खतरों के मामलों को छोड़कर, अपनी आंतरिक सीमाओं पर जांच नहीं करते हैं।
    - **सामान्य वीज़ा नीति**: शेंगेन क्षेत्र में बाहरी सीमाओं पर नियंत्रण के लिए एक सामान्य वीज़ा नीति और नियम हैं।
    - **यूरोपीय संघ के नागरिक और गैर-यूरोपीय संघ के निवासी स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं:** यूरोपीय संघ में कानूनी रूप से रहने वाले नागरिक और कई गैर-यूरोपीय संघ के नागरिक शेंगेन क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं।

स्रोत:

- द हिंदू - यूरोपीय संघ के देश बुल्गारिया और रोमानिया के लिए शेंगेन में पूर्ण प्रवेश पर सहमत हुए

सांसद ने केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला दायर किया

संदर्भ

तृणमूल कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद ने संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है।

संसदीय विशेषाधिकार के बारे में -

- **निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में, सदन के सदस्यों को अपने कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए कुछ अधिकार और छूट प्राप्त हैं।**
- वर्तमान में भारत में ऐसे कानून का अभाव है जो परिभाषित करता हो कि संसदीय विशेषाधिकार क्या है।
- **अनुच्छेद-105** में स्पष्ट रूप से केवल दो प्रकार के विशेषाधिकारों का उल्लेख है,
    - संसद में वाक् स्वतंत्रता
    - सदन की कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार।
- **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908**
    - सदन की कार्यवाही के दौरान (सदन का सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और बाद में) सिविल प्रक्रिया के तहत सदस्यों की गिरफ्तारी और हिरासत से मुक्ति मिलती है।

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में -

- **यदि किसी सदस्य को लगता है कि ऐसे विशेषाधिकार का उल्लंघन या दुरुपयोग किया गया है, तो सदन के सभापति या अध्यक्ष के समक्ष प्रस्ताव या शिकायत उठाई जा सकती है।**
- विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने का अधिकार दो शर्तों को पूरा करने पर आधारित है -
    - प्रश्न हाल ही में घटित किसी विशिष्ट मामले तक ही सीमित होगा।
    - इस मामले में परिषद के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

संसद में विशेषाधिकार समिति -

- **इस समिति में लोकसभा के 15 सदस्य तथा राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं, जिन्हें समय-समय पर लोकसभा के अध्यक्ष (राज्यसभा के लिए सभापति) द्वारा मनोनीत किया जाता है।**
- राज्यसभा में उपसभापति को विशेषाधिकार समिति का प्रमुख नियुक्त किया जाता है।
- लोकसभा अध्यक्ष/राज्यसभा सभापति विशेषाधिकार प्रस्ताव की जांच का पहला स्तर है।
    - लोकसभा अध्यक्ष/सभापति विशेषाधिकार प्रस्ताव पर स्वयं निर्णय ले सकते हैं या इसे संसद की विशेषाधिकार समिति को भेज सकते हैं।

यूपीएससी विगत वर्षों के प्रश्न

प्रश्न. लोकसभा में आचार समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?

1. प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति थी।
2. केवल लोक सभा का सदस्य ही लोक सभा के किसी सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है।
3. यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायालय में विचाराधीन हो।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: C

स्रोत:

- द हिंदू - सांसद ने रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला दायर किया

रोग-X क्या है और विश्व को इसके लिए क्यों तैयार रहना चाहिए?

संदर्भ

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) में 400 से अधिक मौतों के साथ अवर्गीकृत प्रकोप ने रोग-X के वास्तविकता बनने के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं।

रोग-X के बारे में -

- **रोग-X एक काल्पनिक, फिर भी अत्यधिक संभावित, वैश्विक स्वास्थ्य खतरे का प्रतिनिधित्व करता है।**
    - रोगजनक X में वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, कवक, हेल्मिन्थ या प्रियन शामिल हो सकते हैं।
- **यह शब्द विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा 2018 में गढ़ा गया था, यह शब्द किसी भी अज्ञात रोगज़नक़ के लिए एक प्लेसहोल्डर है जो विनाशकारी महामारी या सर्वव्यापी महामारी पैदा करने में सक्षम है।**
- **ऐतिहासिक पैटर्न**:
    - **1940** से अब तक **300** से अधिक उभरते संक्रामक रोगों की पहचान की गई है, जिनमें से **70%** की उत्पत्ति जूनोटिक (पशुओं से मनुष्यों में संचारित) है।
    - वनों की कटाई, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन मनुष्यों और वन्यजीवों के बीच निकट संपर्क को बढ़ा रहे हैं, जिससे जूनोटिक स्पिलओवर का जोखिम बढ़ रहा है।
- **अतीत में उभरी बीमारियों के उदाहरण**: **HIV, SARS, MERS** और इबोला: ये सभी पारिस्थितिक व्यवधानों और मानवीय गतिविधियों के कारण उभरे।
- **डब्ल्यूएचओ की रोगजनकों की प्राथमिकता सूची**:
    - इसमें **इबोला**, **मारबर्ग**, **निपाह और रोग X** जैसी बीमारियाँ शामिल हैं।
    - इस सूची का उद्देश्य सीमित चिकित्सा उपायों के साथ उच्च जोखिम वाली बीमारियों से निपटने की दिशा में वैश्विक अनुसंधान, वित्त पोषण और नीति प्रयासों को निर्देशित करना है।

रोग X के लिए तैयारी

- **निगरानी प्रणाली**: प्रकोप का शीघ्र पता लगाने के लिए जीनोमिक अनुक्रमण और वास्तविक समय डेटा साझाकरण का उपयोग करना।
- **स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना**: प्रकोप की प्रतिक्रिया में सुधार के लिए निम्न और मध्यम आय वाले देशों में स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को मजबूत करना।
- **अनुसंधान निवेश**: महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन (CEPI) प्रकोप का पता चलने के 100 दिनों के भीतर टीके बनाने के लिए प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है।
- **वैश्विक रूपरेखा**: नागोया प्रोटोकॉल जैसे ढांचे का विस्तार करके उसमें रोगजनकों जैसे जैविक पदार्थों को शामिल करने से अनुसंधान निष्कर्षों और चिकित्सा समाधानों तक निष्पक्ष और न्यायसंगत पहुँच सुनिश्चित हो सकती है।

स्रोत:

- द हिंदू - डिजीज एक्स क्या है और दुनिया को इसके लिए क्यों तैयार रहना चाहिए?

सर्वोच्च न्यायालय ने पूजा स्थलों पर दावों से संबंधित मुकदमों पर रोक लगाई

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत पूजा स्थलों से संबंधित विवादों के संबंध में अंतरिम निर्देश जारी किए हैं। साथ ही, कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रमुख निर्देश -

- **नये मुकदमों पर प्रतिबंध:** भारत भर में सिविल अदालतों पर निम्नलिखित प्रतिबंध हैं:
  - किसी भी पूजा स्थल के स्वामित्व या शीर्षक(title) को चुनौती देने वाले नए मुकदमों का पंजीकरण करना।
  - विवादित धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण का आदेश देना।
- **लंबित मामलों पर प्रभाव:**
  - न्यायालय लंबित मुकदमों में कोई प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित नहीं कर सकते।
  - इसमें अगली सूचना तक सर्वेक्षण या अन्य जांच कार्रवाइयों को रोकना शामिल है।

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के बारे में -

- इसे भारत सरकार द्वारा पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को संरक्षित करके सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए अधिनियमित किया गया था।

प्रमुख प्रावधान

- **धार्मिक स्थलों की स्थिति (धारा 4):**
  - 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र अपरिवर्तित रहेगा।
  - कोई भी कानूनी कार्यवाही ऐसे स्थानों के धार्मिक चरित्र को चुनौती नहीं दे सकती, जैसा वह उस तारीख को था।
  - **अपवाद**: अधिनियम राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर लागू नहीं होता है, जो इसके अधिनियमन के समय चल रहा था।
- **धर्मांतरण निषेध (धारा 3):**
  - किसी पूजा स्थल या उसके किसी भाग को एक धार्मिक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में या एक धार्मिक समूह से दूसरे धार्मिक समूह में परिवर्तित करना निषिद्ध है।
- **उल्लंघन के लिए दंड (धारा 6):**
  - किसी धार्मिक स्थल की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करने वाले उल्लंघनकर्ताओं को 3 वर्ष तक के कारावास और/या जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
- **आवेदन का दायरा:**
  - यह अधिनियम भारत में सभी धार्मिक स्थलों पर लागू होता है, सिवाय उन धार्मिक स्थलों के जिन्हें सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट दी गई है या जो 1991 से चल रहे विवादों से संबंधित हैं।

अधिनियम की चुनौतियाँ

- अधिनियम को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें तर्क दिया गया है कि यह न्यायिक उपचार के अधिकार को प्रतिबंधित करता है और अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 26 (धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार) का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट को अभी भी अधिनियम की संवैधानिकता पर निर्णय लेना बाकी है।
- **न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की 2022 की टिप्पणी:** किसी स्थल के धार्मिक चरित्र का निर्धारण करना अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हो सकता है।

- **प्रमुख विवादित स्थल:**
    - ज्ञानवापी मस्जिद (वाराणसी)
    - ईदगाह मस्जिद (मथुरा)
    - कमाल-मौला मस्जिद (धार)
    - अटाला मस्जिद (जौनपुर)
    - कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद (दिल्ली)
    - अजमेर शरीफ दरगाह
    - शाही जामा मस्जिद (संभल)

स्रोत:

- **द हिंदू - सर्वोच्च न्यायालय ने पूजा स्थलों पर दावों से संबंधित मुकदमों पर रोक लगाई**
- **इंडियन एक्सप्रेस - 1991 अधिनियम, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रोका, क्यों?**

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69

संदर्भ

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, विवाह के झूठे वादों पर आधारित यौन संबंधों से संबंधित एक विशिष्ट मुद्दे को संबोधित करने का प्रयास करती है।

धारा-69 BNS के बारे में -

- **धारा-69 निम्नलिखित के तहत यौन संबंधों को अपराध मानती है:**
  - शादी के झूठे वादे, उन्हें पूरा करने का इरादा न रखना।
  - रोजगार या पदोन्नति का वादा।
  - पहचान छुपाकर धोखा।
- **सज़ा**: 10 वर्ष तक का कारावास और/या जुर्माना।
- **श्रेणी**: BNS के अध्याय 5 के अंतर्गत वर्गीकृत, जिसमें यौन अपराधों के अंतर्गत "महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध" शामिल हैं।

धारा 69 की आलोचना

- **लैंगिक पूर्वाग्रह**:
  - इसे भेदभावपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें यह मान लिया जाता है कि महिलाओं में यौन मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का अभाव है।
  - कानून उन स्थितियों के लिए उत्तरदायी नहीं है जहां पुरुषों को धोखा दिया जा सकता है या उन पर दबाव डाला जा सकता है।
- **कानूनी अस्पष्टताएं**:
  - मौखिक वादा या धोखा देने के इरादे को साबित करने में चुनौतियाँ।
  - व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए दुरुपयोग का खतरा।
- **प्रतिगामी निहितार्थ**:
  - आधुनिक रिश्तों की उभरती गतिशीलता को नजरअंदाज करता है, जिसमें लिव-इन पार्टनरशिप भी शामिल है।
  - इसमें LGBTQ+ संबंधों को शामिल नहीं किया गया है, जिससे संवैधानिक चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं।
- **संसदीय रिपोर्ट से चिंताएं**:
  - 2022 में राज्यसभा की एक रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि धारा 69 व्यक्तिगत निजता और स्वायत्तता का उल्लंघन कर सकती है।
  - इसने यह भी चेतावनी दी कि कानून की अस्पष्ट परिभाषाएं लैंगिक रूढ़िवादिता को मजबूत कर सकती हैं तथा इसके प्रवर्तन में कठिनाइयां पैदा कर सकती हैं।

स्रोत:

- द हिन्दू - धारा 69 का पेचीदा वादा

IIT के शोधकर्ताओं ने भ्रूण के मस्तिष्क के अंदर का दुर्लभ निरीक्षण किया

संदर्भ

IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने, दूसरी तिमाही के दौरान विकसित हो रहे शिशु के मस्तिष्क का सबसे बड़ा एवं सबसे विस्तृत 3D मानचित्र, धारिणी (DHARINI) का अनावरण किया है।

धारिणी के संदर्भ में -

- **DHARINI विश्व का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत हाई-रिज़ॉल्यूशन 3D भ्रूण मस्तिष्क एटलस है**, **जो 5,000 से अधिक मस्तिष्क खंडों एवं 500 मस्तिष्क क्षेत्रों का मानचित्रण करता है।**
- यह एटलस, दूसरी तिमाही (गर्भावस्था के 14, 17, 21, 22 और 24 सप्ताह) से मस्तिष्क पर ध्यान केंद्रित करता है, जो तीव्रता से वृद्धि एवं विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है।
- **DHARINI, भ्रूण में बढ़ते हुए मस्तिष्क को कैप्चर करने वाला एकमात्र मस्तिष्क एटलस है।**
- **तकनीकी प्रक्रिया**
    - **फ्रीजिंग और स्लाइसिंग:** मस्तिष्क को फ्रीज किये गए और पतले स्लाइस किए गए, जिससे वैज्ञानिकों को संरचनाओं को देखने में सहायता मिली। जटिल रोबोटिक उपकरण का उपयोग करके पतली स्लाइसिंग की गई तथा ये स्लाइस केवल 10 से 20 माइक्रोन मोटाई के हैं, जो कि मानव बाल की मोटाई के 1/10वें या 1/5वें हिस्से के बराबर है।
    - **सूक्ष्मदर्शी इमेजिंग:** ये पतली पट्टियाँ, जो पारदर्शी हो जाती हैं, फिर उन्हें रंगा जाता है और सूक्ष्मदर्शी से अत्यंत विस्तार से उनका चित्र लिया जाता है।
    - **3D मैपिंग:** उन्नत तकनीक का उपयोग करके डिजिटलीकृत स्लाइस को 3D मस्तिष्क एटलस में पुनर्निर्मित किया जाता है।

स्रोत:

- इंडियन एक्सप्रेस - द ब्यूटीफुल माइंड

समाचार संक्षेप में

सैदनाया जेल

- **बशर अल-असद के पतन के बाद, सीरिया में हयात तहरीर अल-शाम (HTS) ने कुख्यात सैदनाया जेल पर धावा बोल दिया।**
- हजारों बंदियों को रिहा कर दिया गया, जिनमें मुख्य रूप से 2011 के सीरियाई विद्रोह के बाद से जेल में बंद राजनीतिक कैदी शामिल थे।
- **स्थान:** सैदनाया शहर में स्थित, जो दमिश्क से 30 किमी उत्तर में है।
- **2017 में एमनेस्टी इंटरनेशनल (2017) ने इस जेल को इसकी क्रूर स्थितियों के कारण "मानव वधशाला" करार दिया था।**

स्रोत:

- द हिन्दू - एक युग का अंत

जुबालैंड क्षेत्र

- **जुबालैंड दक्षिणी सोमालिया में एक स्वायत्त क्षेत्र है। इसकी सीमा केन्या और इथियोपिया से लगती है।**
- यह क्षेत्र केन्या और सोमालिया तथा अल-कायदा के सहयोगी अल शबाब के साथ संघर्ष में शामिल रहा है।

सोमालिया के बारे में -

- **सीमावर्ती देश:** जिबूती (उत्तरपश्चिम), इथियोपिया (पश्चिम) और केन्या (दक्षिणपश्चिम)।
- **सीमावर्ती जल निकाय:** अदन की खाड़ी और हिंद महासागर।
- **सबसे ऊंची चोटी:** माउंट शिम्बिरिस, जिसे माउंट सुरुद कैड के नाम से भी जाना जाता है।
- **प्रमुख नदियाँ:** जुब्बा और शबेले।
- **अदन की खाड़ी के समानांतर तटीय मैदानों को गुबन के नाम से जाना जाता है।**

स्रोत:

- द हिंदू - सोमाली संघीय सेना झड़पों के बाद जुबालैंड से पीछे हटी

संपादकीय सारांश

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान

संदर्भ

जनवरी 2025 में, पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्वाचित गैर-स्थायी सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करेगा।

पाकिस्तान का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रवेश

- पाकिस्तान 1 जनवरी, 2025 से शुरू होने वाले दो साल के कार्यकाल के लिए गैर-स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (**UNSC**) में शामिल होगा, जो परिषद में उसका आठवां कार्यकाल होगा।
- **2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना:**
    - **नये निर्वाचित सदस्य:** डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड का स्थान लेंगे।
    - **वर्तमान गैर-स्थायी सदस्य:** अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया।
- पाकिस्तान के प्रवेश के साथ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से लगभग आधे (10 में से 5) इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) से होंगे।

इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC)

- **OIC एक ऐसा संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देता है और मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा करता है।**
- इसकी **स्थापना 1969 में** तब की गई थी जब एक ऑस्ट्रेलियाई चरमपंथी यहूदी ने येरुशलम स्थित अल-अक्सा मस्जिद में आग लगा दी थी।
- **यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर-सरकारी संगठन है।**
- **सदस्यता: 57 राज्य 4 महाद्वीपों** में फैले हैं।
- **मुख्यालय:** जेद्दा, सऊदी अरब।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की घोषित प्राथमिकताएं:

- **अफगानिस्तान संबंध:** पाकिस्तान से उम्मीद की जा रही है कि वह अफगानिस्तान पर ध्यान केंद्रित करेगा और तालिबान के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए अपने कार्यकाल का उपयोग करेगा । इस संबंध में उसे रूस और चीन का समर्थन मिलने की संभावना है।
- **फिलिस्तीनी मुद्दा और गाजा:** पाकिस्तान से OIC देशों के समर्थन से गाजा में युद्ध विराम की वकालत करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के भीतर फिलिस्तीनी मुद्दे को आगे बढ़ाने की उम्मीद है।
- **शांति स्थापना:** संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में , पाकिस्तान बेहतर शांति स्थापना प्रयासों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए प्रयास करेगा।

भारत के समक्ष चुनौतियाँ

- **भारत-पाकिस्तान संबंध:** भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं और भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अपने कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान की ओर से भारत विरोधी पहलों के लिए तैयार रहना चाहिए।
    - कुछ गुप्त संचार के बावजूद, भारत और पाकिस्तान के बीच संयुक्त राष्ट्र में, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, बहुपक्षीय सहयोग में वृद्धि नहीं हुई है।

  - पाकिस्तान की कूटनीतिक रणनीति में संभवतः भारत विरोधी बयानबाजी जारी रखना तथा भारत की स्थिति को कमजोर करने के प्रयास शामिल होंगे, विशेषकर आतंकवाद और कश्मीर जैसे मुद्दों के संबंध में।
- **पाकिस्तान का कूटनीतिक दृष्टिकोण:**
  - **आतंकवाद और यूएनएससी 1267 प्रतिबंध**: पाकिस्तान ने ऐतिहासिक रूप से भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद का आरोप लगाकर आतंकवाद में अपनी भूमिका की अंतरराष्ट्रीय आलोचना से ध्यान हटाने की कोशिश की है।
  - पाकिस्तान ने **UNSC संकल्प 1267** के तहत भारतीय नागरिकों को आतंकवादियों के रूप में सूचीबद्ध करने का असफल प्रयास किया है।
  - इसके विपरीत, प्रतिबंध शासन के तहत अब्दुल रहमान मक्की (लश्कर-ए-तैयबा के उप नेता) को सूचीबद्ध करने के भारत के प्रस्ताव को 2021 में यूएनएससी द्वारा सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया गया, चीन उसे सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गया।

कश्मीर मुद्दा और इस्लामोफोबिया का प्रयोग

- पाकिस्तान संभवतः जम्मू-कश्मीर (**J&K**) का मुद्दा उठाता रहेगा।
  - **अनुच्छेद-370** को निरस्त किये जाने के बाद कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परामर्श के लिए पाकिस्तान की पैरवी असफल रही, क्योंकि अधिकांश P-5 देशों (स्थायी सदस्य - अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस) ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई।
  - पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर को एक जारी अंतरराष्ट्रीय विवाद के रूप में पेश कर सकता है, हालांकि इस मुद्दे को मोटे तौर पर द्विपक्षीय माना जाता है।
- **इस्लामोफोबिया और आतंकवाद विरोध:**
  - पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया को आतंकवाद के औचित्य के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की है, इसे संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद विरोधी रणनीतियों में शामिल करने की मांग की है।
  - 2021 और 2023 में, पाकिस्तान ने **OIC** के समर्थन से, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-विरोधी रणनीति में इस्लामोफोबिया के संदर्भ पर जोर दिया, लेकिन भारत ने इन प्रयासों को सफलतापूर्वक अवरुद्ध कर दिया।
  - हालांकि, 2023 में, चीन और रूस सहित व्यापक अंतरराष्ट्रीय समर्थन के साथ, इस्लामोफोबिया पर **OIC** समर्थित प्रस्तावों को यूएनएससी दस्तावेजों में शामिल किया गया था।

सिंधु जल संधि और द्विपक्षीय मुद्दे:

- 2024 में, पाकिस्तान ने यूएनएससी में सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया, बावजूद इसके कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा था जिसे यूएनएससी ने संबोधित नहीं किया।
- इसे घरेलू राजनीतिक उद्देश्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दुरुपयोग के रूप में देखा गया।

पाकिस्तान की आंतरिक चुनौतियाँ और बहुपक्षवाद:

- पाकिस्तान के आंतरिक राजनीतिक और आर्थिक संघर्षों ने रचनात्मक बहुपक्षवाद पर ध्यान केंद्रित करने की उसकी क्षमता में बाधा उत्पन्न की है। इसके बावजूद, वह अपने राष्ट्रीय एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए यूएनएससी मंच का उपयोग करना जारी रखेगा।
- दूसरी ओर, भारत ने अपने 2021-2022 यूएनएससी कार्यकाल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना और जलवायु परिवर्तन और एसडीजी जैसी वैश्विक चुनौतियों पर जोर दिया गया है।

निष्कर्ष:

- 2025 में यूएनएससी में पाकिस्तान के प्रवेश के परिणामस्वरूप भारत विरोधी पहल जारी रहने की संभावना है, खासकर आतंकवाद, कश्मीर और इस्लामोफोबिया जैसे मुद्दों पर। भारत को इन कूटनीतिक चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए लेकिन इन प्रयासों का मुकाबला करने के लिए वह समान विचारधारा वाले देशों के समर्थन पर भरोसा कर सकता है।

स्रोत:

- द हिन्दू

वायु प्रदूषण के विरुद्ध बीजिंग का युद्ध

संदर्भ

दिल्ली वर्तमान में गंभीर वायु प्रदूषण का सामना कर रही है, जिसका 2024 के लिए औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 155 है, जो 2015 में बीजिंग के AQI 144 के बराबर है। हालांकि, बीजिंग ने व्यापक प्रदूषण-विरोधी रणनीति के माध्यम से 2013 और 2017 के बीच अपने प्रदूषण के स्तर को एक तिहाई तक सफलतापूर्वक कम कर लिया है।

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बीजिंग के प्रयास -

- **तीन चरणीय प्रदूषण विरोधी कार्यक्रम (1998-2017)**
  - बीजिंग ने सार्वजनिक भागीदारी और स्थानीय सरकार की स्वायत्तता को शामिल करते हुए चरणबद्ध और सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध प्रदूषण विरोधी रणनीति लागू की।
- **ऊर्जा और कोयला दहन नियंत्रण**
  - विद्युत संयंत्रों में अति-निम्न उत्सर्जन नवीनीकरण।
  - कोयला-चालित बॉयलरों को स्वच्छ विकल्पों से प्रतिस्थापित करना।
  - आवासीय हीटिंग के लिए प्रयुक्त होने वाले सिविल थोक कोयला उपभोग का उन्मूलन।
- **परिवहन अवसंरचना का पुनर्गठन**
  - **डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर (डीपीएफ)** के साथ रेट्रोफिटेड कारें और सार्वजनिक सेवा वाहन।
  - सब्सिडी के साथ उच्च प्रदूषण वाले वाहनों को धीरे-धीरे समाप्त करना।
  - मेट्रो और बस नेटवर्क का विस्तार और शहरी लेआउट अनुकूलन।
- **औद्योगिक और निर्माण विनियमन**
  - सख्त पर्यावरणीय आवश्यकताएं और एंड-ऑफ़-पाइप (ईओपी) उपचार।
  - पुरानी औद्योगिक क्षमताओं का उन्मूलन।
- **क्षेत्रीय सहयोग**
  - अंतिम चरण में 5 पड़ोसी प्रांतों के साथ सहयोग पर जोर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप सामूहिक क्षेत्रीय प्रयास से प्रदूषण के स्तर में उल्लेखनीय कमी आई।
- **उपलब्धियां -** प्रमुख प्रदूषकों में उल्लेखनीय कमी (2013-2017)
  - **सल्फर डाइऑक्साइड (SO2)**: -83%
  - **नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx)**: -43%
  - **वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VoC)**: -42%
  - **पीएम2.5**: -59%

बीजिंग के अनुभव से दिल्ली क्या सीख सकती है?

- **परिवहन से संबंधित विचार**
  - एक कुशल बस-मेट्रो एकीकृत परिवहन प्रणाली को लागू करना, डीटीसी बस बेड़े को उन्नत करना और अंतिम मील कनेक्टिविटी में सुधार करना।
  - पुराने वाहनों को हटाने, सब्सिडी प्रदान करने तथा साइकिल चलाने और पैदल चलने के लिए विशेष लेन बनाने का कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिए।
  - सार्वजनिक परिवहन और निजी वाहनों के बीच क्रॉस-सब्सिडी (भीड़भाड़ या पार्किंग शुल्क के माध्यम से) की संभावना तलाशी जानी चाहिए।
- **स्वच्छ वायु के लिए ऊर्जा में सुधार**
  - दिल्ली की कोयला आधारित बिजली पर निर्भरता कम की जानी चाहिए।
  - सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करना तथा छतों पर सौर ऊर्जा स्थापना के लिए सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन प्रदान करना, ऊर्जा प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।

- **प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्षेत्रीय सहयोग**
  - पड़ोसी क्षेत्रों के साथ समन्वय आवश्यक है, क्योंकि प्रदूषण के स्रोत अक्सर दिल्ली से बाहर उत्पन्न होते हैं।
  - समग्र प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए एनसीआर में सामूहिक प्रयास आवश्यक है।
- **जन जागरूकता और जवाबदेही**
  - नागरिकों को स्वच्छ हवा की मांग करनी चाहिए और सरकार को जवाबदेह बनाना चाहिए।
  - खराब AQI स्तरों को सामान्य बनाने से बचना चाहिए और प्रदूषकों के साथ दीर्घकालिक संपर्क को, यहां तक कि मध्यम स्तर पर भी, हानिकारक माना जाना चाहिए।
  - दिल्ली बीजिंग की बहु-चरणीय, समन्वित और अच्छी तरह से वित्तपोषित रणनीति से सीखकर अपने प्रदूषण के स्तर को कम कर सकती है। इसके लिए सरकार और नागरिकों दोनों की ओर से अल्पकालिक राजनीतिक हितों पर स्वच्छ हवा को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

स्रोत:

- द हिन्दू - वायु प्रदूषण के विरुद्ध बीजिंग का युद्ध

PMAY-शहरी पर आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की रिपोर्ट

संदर्भ

PMAY-शहरी के अंतर्गत निर्मित किफायती आवासों में से लगभग 50% खाली हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के बारे में -

- **इसे 2015 में पूरे भारत में शहरी गरीबों, झुग्गीवासियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था।**
- पहले इसे 2022 में समाप्त होना था। बाद में **स्वीकृत 122.69 लाख घरों को पूरा करने के लिए इसे दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया।**
- **निर्माण की स्थिति:** स्वीकृत **122.69 लाख मकानों** में से अब तक **88.32 लाख मकान पूरे हो चुके हैं।**
- **यह योजना 4 कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत संचालित होती है:**
    - लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण
    - इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर)
    - साझेदारी में किफायती आवास (AHP)
    - ऋण-लिंक्ड सब्सिडी योजना
- **केंद्र सरकार PMAY-U योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करती है:**
    - ISSR वर्टिकल के अंतर्गत प्रत्येक मकान के लिए **1 लाख रुपये**
    - AHP वर्टिकल के अंतर्गत **1.5 लाख रु**

संसदीय रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- **खाली मकान:**
    - **लगभग 47% पूर्ण हो चुके घर खाली पड़े हैं।** इसमें AHP और ISSR वर्टिकल के तहत बने घर शामिल हैं।
    - **AHP वर्टिकल:**
        - स्वीकृत **15.65 लाख मकानों** में से **9.01 लाख मकान** पूरे हो चुके हैं।
        - इनमें से केवल **54% (4.89 लाख)** पर ही कब्जा है, तथा **46% (4.12 लाख)** खाली हैं।
    - **ISSR वर्टिकल:**
        - **1.84 लाख** इकाइयों में से **67,806** मकान पूरे हो चुके हैं।
        - इनमें से **70% (47,510) घर खाली पड़े हैं।**
- **खालीपन के कारण:**
    - अपूर्ण बुनियादी ढांचा (सड़क, पानी, सीवेज, बिजली की कमी)
    - मकानों के आवंटन में देरी
    - लाभार्थियों की वहां जाने में अनिच्छा
    - कुछ मामलों में मकानों का आवंटन न किया जाना

स्रोत:

- इंडियन एक्सप्रेस - PMAY -शहरी के तहत निर्मित किफायती आवासों में से लगभग 50% खाली पड़े हैं

शहरी स्थानीय निकाय चुनावों पर ध्यान न देना

संदर्भ

ULG चुनावों में देरी और अशक्त राज्य चुनाव आयोग उनकी प्रभावशीलता में बाधा डालते हैं, जिससे स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए समय पर सुधार आवश्यक हो जाते हैं।

शहरी स्थानीय सरकारों (ULG) की भूमिका -

- **शहरी स्थानीय सरकारें (ULG)** विकेन्द्रीकृत शासन के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनका कार्य नागरिक सेवाएं प्रदान करना और नागरिकों के लिए जीवन की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।
- **74वां संविधान संशोधन अधिनियम (CAA)** (1992) ULG की भूमिका को संस्थागत बनाने के लिए लाया गया था, लेकिन 30 साल से अधिक समय बाद भी इसके उद्देश्य काफी हद तक पूरे नहीं हो पाए हैं।
- **एक राष्ट्र एक चुनाव (ONOE)** पर चल रही बहस, ULGs के लिए समय पर चुनाव की आवश्यकता को उजागर करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है, जो एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे अक्सर ONOE चर्चाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है।

संवैधानिक और कानूनी चुनौतियाँ

- एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता पर संसद की स्थायी समिति की 2015 की रिपोर्ट में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई थी, लेकिन इसमें ULG के लिए चुनावों पर कोई बात नहीं की गई थी।
- एक साथ चुनावों पर 2017 के नीति आयोग चर्चा पत्र में भी ULG को बाहर रखा गया, उन्हें राज्य का विषय बताया गया और देश में हजारों ULG के लिए चुनावों को सिंक्रनाइज़ करने की अव्यवहारिकता पर चिंता व्यक्त की गई।
- इसी प्रकार, एक साथ चुनाव कराने पर विधि आयोग की 2018 की रिपोर्ट में भी ULG पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया, तथा इसमें शामिल जटिलताओं को दोहराया गया।
- हालाँकि, 2024 में भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनावों के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनावों को समन्वयित करने की सिफारिश की थी।

शहरी स्थानीय सरकारों का महत्व

- भारत में 4,800 से अधिक ULG हैं, जो लगभग 40% आबादी पर शासन करते हैं, अनुमान है कि 2050 तक यह आंकड़ा 50% से अधिक हो जाएगा।
- भारत के सकल घरेलू उत्पाद में शहरों का योगदान 60% से अधिक है, जिससे आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए सुशासित शहर आवश्यक हो जाते हैं।
- प्रभावी शासन और शहरी आबादी की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लिए नियमित और समय पर चुनाव सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

ULG चुनावों से जुड़े मुद्दे

- **ULG चुनावों में देरी:**
  - नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत भर में 60% से अधिक ULG चुनावों में देरी हुई है।
  - इस तरह की देरी अक्सर कई वर्षों तक चलती है, क्योंकि स्थानीय निकायों का प्रशासन निर्वाचित प्रतिनिधियों के बजाय राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, जिससे स्थानीय लोकतंत्र कमजोर होता है।
- **राज्य चुनाव आयोगों (SEC) का अधिकार हनन:**

- राज्य चुनाव आयोग (SEC), जो ULG चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार हैं, के पास आवश्यक स्वायत्तता और संसाधनों का अभाव है।
- वार्ड परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को सशक्त बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप राजनीतिक हस्तक्षेप और आरक्षण पर विवाद के कारण देरी होती है।
  - 15 राज्यों में से केवल 4 ने अपने राज्य निर्वाचन आयोग को वार्ड परिसीमन करने का अधिकार दिया है।

विलंबित चुनावों के परिणाम

- **प्रशासनिक अकुशलता**: वार्ड परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया में देरी के कारण समय पर चुनाव नहीं हो पाते।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप**: कुछ राज्य सरकारें राजनीतिक कारणों से चुनावों में देरी करती हैं, जिससे ULG की स्वायत्तता कमजोर होती है।
- **नागरिकों का असंतोष**: जब चुनाव में देरी होती है, तो नागरिकों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास खत्म हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप शासन में उनकी भागीदारी कम हो जाती है।

ULG चुनाव में देरी को दूर करने के लिए प्रस्तावित उपाय

- **राज्य निर्वाचन आयोगों को सशक्त बनाना**: राज्य निर्वाचन आयोगों को राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना वार्ड परिसीमन और आरक्षण कार्यों को संभालने के लिए अधिक स्वतंत्रता और संसाधनों की आवश्यकता है।
- **समयसीमा का सख्ती से पालन:** प्रत्येक पांच वर्ष में ULG चुनाव कराने के संवैधानिक आदेश को लागू किया जाना चाहिए, तथा देरी के लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए।

स्रोत:

- द हिन्दू - शहरी स्थानीय निकाय चुनाव